<u>न्यायालयः –श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> मजिस्ट्रेट, अंजड जिला - बड्वानी (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक 547/2015 संस्थित दिनांक 26.09.2015

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र अंजड, जिला बडवानी

-अभियोगी

वि रू द्ध

- 1. माध् पिता रूखड़िया, उम्र-40 साल, निवासी-ग्राम सेंगवाल थाना ठीकरी.जिला-बडवानी
- 2. रमेश पिता रूखड़िया, उम्र-35 साल, निवासी-ग्राम सेंगवाल थाना ठीकरी,जिला-बडवानी
- 3. दिनेश पिता काशीराम, उम्र—22 साल, निवासी ग्रमा— पिपरखेडा, थाना ठीकरी जिला बडवानी
- 4. प्यारसिंह पिता रूखडिया, उम्र–50 साल, निवासी–ग्राम पिपरखेडा, थाना ठीकरी, जिला बडवानी, म.प्र.

<u> -अभियुक्तगण</u>

राज्य तर्फे एडीपीओ

– श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्त तर्फे अभिभाषक – श्री आर.के. श्रीवास ।

---: निर्णय:-

(आज दिनांक 25.09.2017 को घोषित)

- थाना ठीकारी के अपराध क 237/2015 के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 11.08.2015 को रात्रि लगभग 09:00 बजे ग्राम सेंगवाल में फरियादी अनिल, सपना, सुखलाल और पारूबाई के निवास स्थान में उन्हें उपहति कारित करने के साथ प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न या रात्रि गृह भेदन करने के लिये भा.द.सं०. की धारा 458 का आरोप है।
- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन साक्षी आरोपीगण को जानते है तथा पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि फरियादीगण द्वारा आरोपीगण से राजीनामा करने के कारण आरोपीगण को भा.द.स. की धारा 594, 323 / 34 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.2015 को रात्रि 09:30 बजे अनिल ने थाना ठीकरी में आरोपीगण के विरूद्ध यह रिपोर्ट लिखाई थी। दो-तीन माह पहले वह गांव के माधू की लड़की निरमा को भगा कर ले गया था तथा उससे शादी कर ली थी। उसके बाद उसका माधु से समझोता हो गया था। कल राखी का त्योहार था। कल वह उसकी माँ पारूबाई उसकी पत्नी निरमा बहन सपना और भाई सुखलाल घर पर थे। तभी रात्रि 09:00 बजे आरोपीगण हाथों में लकडियां और कुल्हाडियां लेकर आये तथा उन्हें मा–बहन की अश्लील गालियां दी उसने गालियां देने से मना किया तो सभी आरोपीगण उसके घर में घूस कर लकडी और कुल्हाडी से

मारपीट की। माधु ने उल्टी कुल्हाडी से सपना को मारा आरोपीगण ने उसे जान से मार देने की धमिकयां भी दी। आप पडोस के लोगों ने उन्हें बचाया तथा वह रिपोर्ट करने आया। अनिल की रिपोर्ट के आधार पर उक्त थाना ठीकारी में अपराध दर्ज कर विवेचनापूर्ण कर आभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया।

- 04. उक्त अनुसार आरोपीगण का भा.द.सं. की धारा 294, 458 330 / 34 तथा 506 भाग—दो का आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण आपराध से इंकार करके विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लिये गये परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष है किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।
- 5— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:--
- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 11.08.2015 को रात्रि 09:00 बजे ग्राम सेंगवाल में निवास स्थान में फरियादी अनिल, सपना, सुखलाल और पारूबाई के निवास स्थान में उन्हें उपहित कारित करने के साथ प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न या रात्रि गृह भेदन किया ?

<u>सकारण निष्कर्ष</u> –

- 6— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अनिल अ.सा.1 का कथन है कि दो वर्ष पूर्व राखी पर वह अपने घर के बाहर बैठा था तब उसकी अपने ससुर माधु से बोलचाल और मारपीट हो गयी। किसने उसे मारा यह ध्यान नहीं है। कुल्हाडी के पिछले भाग का हिस्सा उसे पीट पर लगा था। मारपीट में सपना, सुखलाल और पारूबाई को भी चोटे आयी थी फिर उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी में की थी, जो प्रदर्श पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण कराया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पुछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि आरोपीगण ने उनके घर में घुसकर लकड़ी और कुल्हाडी से मारपीट की थी। यह तक की साक्षी ने प्रदर्श पी—1 और प्रदर्श पी—3 में भी उक्त बाते पुलिस को बताने से इंकार साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया की उन सभी फरियादीगण ने आरोपीगण से राजनामा कर लिया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा होने के करण वह आरोपीगण को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।
- 07. राजेन्द्र सोलंकी अ.सा.02 का कथन है कि थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 237/2015 की विवेचान के दौरान उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी—2 का बनाया था उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थै। उसने आरोपी रमेश, प्यारसिंह और दिनेश ने एक—एक बास की लकड़ी जप्त की थी तथा आरोपी माधु से एक पुरानी कुल्हाडी प्रदर्श पी—7 के अनुसार जप्ती की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी अनिल या किसी साक्षी ने उसे घर में घुसकर आरोपीगण द्वारा मारपीट करने की बात नहीं बतायी थी। साक्षी ने सुझाव से भी इंकार किया कि उसने असत्य विवेचना की है या वह असत्य कथन कर रहा है।
- 08. राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया। ऐसी स्थिति में जबिक फरियादी स्वयं पक्ष विरोधी रहा एवं उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 458 या अन्य कोई भी आपराध प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें किसी भी आपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।
- 09. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी माधु पिता रूखड़िया, रमेश पिता रूखड़िया, दिनेश पिता काशीराम, प्यारसिंह पिता रूखड़िया, भा.द.सं. की धारा 458 के

अपराध में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तों के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

10— जप्तशुदा सम्पत्ति एक कुल्हाडी और तीन लकड़िया अपील अवधि वाद मूल्यहीन होने नष्ट की जाय। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए। अभियुक्तों की अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं घोषित किया गया।

सही / – (श्रीमती वंदना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / – (श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.